नई वाहन स्क्रैप पॉलसिी को कैबनिेट की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

10 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबनिेट की बैठक में प्रदेश के परविहन वभिाग की नई वाहन स्क्रैप पॉलसिी के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बदिु

- प्रदेश के परविहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सहि ने बताया कि पुराने वाहनों के संचालन से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लयि वाहन स्क्रैपगि नीति लागू की गई है।
- इसके तहत कार्रवाई करने पर उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। तीन बदिुओं पर कार्रवाई करने पर पहली कसि्त के रूप में 50 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।
- इसके तहत प्रदेश सरकार को पंजीकृत वाहन स्क्रैपगि सुवधिा में 15 वर्ष या उससे अधकि पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपगि एवं उनकी अपेक्षति संख्या उपलब्ध कराए जाने, नक्षिेप प्रमाणपत्र के सापेक्ष क्रय कयि गए वाहनों को कर में छूट प्रदान कयि जाने और पंजीकृत वाहन स्क्रैपगि सुवधिा में स्क्रैप कयि जाने वाले वाहन पर लंबति बकाया कर में एकमुश्त छूट प्रदान कयि जाने की कार्रवाई करनी है।
- प्रदेश में पुराने एवं नषि्प्रयोज्य हो चुके व्यावसायकि एवं गैर-व्यावसायकि वाहनों पर देय बकाया करों में छूट के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है, जसिके अंतर्गत वर्ष 2003 से पूर्व राज्य में रजसि्ट्रीकृत सभी श्रेणयिों के वाहनों पर बकाया करों में 75 फीसदी तक छूट दी जाएगी।
- नई वाहन स्क्रैप पॉलसिी के तहत यह छूट अधसिूचना जारी कयि जाने की तथि से एक वर्ष के लयि मान्य होगी। यह छूट वाहन स्वामी को वाहन पर छूट के बाद देय धनराशि को एकमुश्त जमा करने पर ही प्राप्त होगी।
- कैबनिेट से मंज़ूर कयि गए प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधनियिम, 1997 की धारा चार के अधीन गैर-व्यावसायकि एवं व्यावसायकि वाहनों पर देय बकाया कर में छूट के लयि अलग-अलग श्रेणी बनाई गई है, जसिके तहत वर्ष 2003 में या इसके बाद और वर्ष 2008 से पूर्व राज्य में रजसि्ट्रीकृत सभी श्रेणयिों के वाहनों पर 50 फीसदी की छूट होगी।
- इसी तरह वर्ष 2008 में या इसके बाद और 2013 में या इसके पूर्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पड़ने वाले राज्य के ज़लिों में रजसि्ट्रीकृत सभी श्रेणयिों के डीज़ल चालति वाहनों पर भी 50 फीसदी की छूट होगी।
- रजसि्ट्रीकृत यान स्क्रैपगि सुवधिा केंद्र में स्क्रैप कराने वाले वाहनों पर लगाए गए जुर्माने में शत-प्रतशित छूट होगी, लेकनि यह वाहनों पर जुर्माने की छूट देय सभी बकाया करों पर अनुमन्य होगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cabinet-approves-new-scope